I/956/2023

सत्यमेव जयते

संख्या– 956 / जी0एस0(शिक्षा) / **A11-255** / 2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 01 नवम्बर अक्टूबर, 2023

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा एफिलियेशन पोर्टल वेबसाइट पर आई0डी0 सं0–230823125337 के माध्यम से प्रेषित निम्नांकित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है:–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
आई0डी0 सं0–230823125337 श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–जलालपुर डांडा, पो0–हल्लुमाजरा, भगवानपुर, हरिद्वार।	**बी0ए0** (हिन्दी, अंग्रेजी, ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग, समाजशास्त्र)	60 प्रति विषय	2023–24
	बी0कॉम0	60	
	बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	60 प्रति विषय	
	बी0एससी0 (रसायन विज्ञान)	120	

(1) संस्थान को शीघ्र शैक्षिक सत्र 2023–24 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता जारी करें तथा यू0जी0सी0 विनियम, 2009 के नियम–3.4.7 के अन्तर्गत निर्धारित तीन माह की समयावधि में संस्थान में फेकल्टी नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कराये और तद्नुसार कृत कार्रवाई से इस सचिवालय को भी सूचित करें।

(2) प्राभूति राशि मानक अपूर्ण है। यद्यपि प्राभूति राशि के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है तथापि विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि को पुनरीक्षित करने विषयक शासनादेश निर्गत किया जाता है, तब तक संस्थानों से पूर्व से नियत प्राभूति धनराशि जमा कराई जाय और साथ में संस्थान से प्राभूति हेतु इस आशय का शपथ–पत्र भी प्राप्त किया जाय कि प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा और तद्नुसार प्राभूति राशि की कार्यवाही पूर्ण कर दी जायेगी।

(3) संस्थान द्वारा छात्र–छात्राओं के व्यवहारिक ज्ञान व प्रशिक्षण के सम्बन्ध में किये गए

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 02/11/2023 03:05 pm

I/956/2023

I/956/2023

एम0ओ0यू0 सम्बन्धी साक्ष्य दो माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध करायें तथा अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्तावों में इस तथ्य/साक्ष्य का उल्लेख किया जाये।

(4) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(6) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

Signed by Ravinath Raman
Date: 01-11-2023 13:02:50

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या– 956 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A11-255**/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1 सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2 प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

ह0-

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 02/11/2023 03:05 pm